न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 183 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. खेराजराम पुत्र उम्मेदाराम, जाति माली निवासी कवास तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.हराराम पुत्र ईशराराम जाति माली का.मु.1 / 1 अमियों पुत्री स्व. हराराम पत्नी तुलछाराम जाति माली निवासी शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।
2.बालाराम पुत्र स्व. हराराम
3.वीरमाराम पुत्र स्व. हराराम जाति माली निवासी कवास तहसील व जिला बाड़मेर।
4.रतनी पुत्र हराराम पत्नी आसुराम जाति माली निवासी अमरसागर, जैसलमेर।
5.उदाराम पुत्र हराराम
6.गेवाराम पुत्र हराराम जाति माली निवासी कवास, तहसील व जिला बाड़मेर।
7.मोहनी पुत्री हराराम पत्नी गोरधनराम जाति माली निवासी गुंदानाडी पाटोदी, तहसील पचपदरा
8.हेमन्त पुत्र स्व. हराराम
9.नरेन्द्र पुत्र स्व. हराराम जाति माली निवासी कवास, तहसील व जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 119 / 2002 बअनवान हराराम का मु अमियो बनाम खेराजराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री मदनलाल सिंघल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अम्बालाल जोशी, श्री कुमार कौशल जोशी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— **16.12.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ढूंढा (कवास) में कृषि भूमि खसरा संख्या 403 वर्तमान खसरा संख्या 811 / 403 रकबा 02.02 बीघा व खसरा संख्या 402 रकबा 06 बिस्वा कुल रकबा 02.08 बीघा स्थित है जिसका पर्चा लगान वकत बंदोबस्त ईशराराम के नाम से जारी किया गया। ईशराराम के फौत होने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपरोक्त भूमि विरासतन उसके तीन पुत्रों हराराम, लाबुराम व देराजराम के नाम दर्ज की गई खसरा संख्या 403 में देराजराम ने अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा दिनांक 10.01.1991 को जरिये विक्रय विलेख खेराजराम पुत्र रासिंगाराम माली को जरिये विक्रय विलेख खेराजराम पुत्र रासिंगाराम माली को हस्तान्तरित कर दी एवं खेराजराम पुत्र रासिंगाराम ने आगे अपना उक्त सम्पूर्ण हिस्सा जरिये पंजिकृत विक्रय विलेख खेराजराम पुत्र उम्मेदाराम माली को हस्तान्तरित कर दिया। ईशराराम के दुसरे पुत्र लाबुराम ने अपना 1/3 हिस्सा उम्मेदाराम पुत्र अचलाराम को हस्तान्तरित कर दिया व उम्मेदाराम से उक्त 1/3 हिस्सा हराराम पुत्र ईशराराम ने क्रय कर लिया इस प्रकार खसरा संख्या 403 की सम्पूर्ण भूमि में वादी हराराम का 2/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी खेराजराम का 1/3 हिस्सा रह गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 को मनमाने ढंग से बिना सुनवाई के पत्रावली को कैम्प कोर्ट में ले जाकर खारिज कर दिया जबकि नियमित वाद पत्रावलीयों को कैम्प कोर्ट में ले जाकर कोई आदेश पारित किया ही नहीं जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने महज कयासी दलीलो पर वादी का दावा डिक्री कर दिया वर्तमान वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादी द्वारा जबाव दावा पेश न किये जाने की सुरत में भी वादी के एकतरफा कथन को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 को मनमाने ढंग से बिना सुनवाई के पत्रावली को कैम्प कोर्ट में ले जाकर खारिज कर दिया जबकि नियमित वाद पत्रावलीयों को कैम्प कोर्ट में ले जाकर कोई आदेश पारित किया ही नहीं जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने महज कयासी दलीलो पर वादी का दावा डिक्री कर दिया वर्तमान वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादी द्वारा जबाव दावा पेश न किये जाने की सुरत में भी वादी के एकतरफा कथन को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधी द्वारा स्थापित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रक्रिया के विरूद्ध है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2019(1) Page 339
RRD 2018 Page 284
RRD 2014 Page 714
RRD 1999 Page 173

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 ने उक्त निर्णय 27.03.1999 को एकतरफा निर्णय कहते हुऐ लगभग 14 माह पश्चात दिनांक 13.05.2000 को एक आवेदन संख्या 40/2000 अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी पी सी का पेश किया जो म्याद बाहर था। जिसका वादी की ओर से सूचना मिलते ही जबाव पेश किया गया एवं बाहर विस्तार पूर्वक सुनवाई के दिनांक 23.04.2001 को खारिज कर दिया गया। जिससे निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.1999 बरकरार रहा। गौरतलब बिन्दू है कि इस आदेश के माध्यम से स्टे के दरम्यान प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 को किये गये बेचान को शून्य माना गया है। इससे असंतुष्ट होकर प्रतिवादी खेराज(अपीलांट) द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक अपील संख्या 21/2001 की गई जो बाद सुनवाई दिनांक 05.12.2001 स्वीकार कर ली गई हालाकि कतई न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं था। जिससे शुब्ध होकर वादी की ओर से एक निगरानी संख्या 10635/2002 माननीय राजस्व मण्डल में पेश की गई, जिसे दिनांक 18.02.2011 को अस्वीकार किया गया व 27.03.1999 का निर्णय निरस्त हो गया तथा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकारों को निर्देश दिये गये कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.03.2011 को उपस्थित रहने हेतु 500 रूपये कोस्ट पर पाबंद किया परन्तु अपीलांट ने इस निर्धारित पेशी तारीख पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं दी। इससे प्रकट होता है कि प्रतिवादी खेराज जानबुझकर बदनियती से मुकदमा लम्बा कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाद विस्तृत विवेचन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है। अधिवक्ता रेसपोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया

RRT 2013(2) Page 1027
RRT 2013(2) Page 1033

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

DNJ 2013(2) (Raj.) Page 750
RRT 2014-15(Supp.) Page 142
RRT 2017(2) Page 1244
RRT 2008(2) Page 1095

अतः अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम उभयपक्ष को अवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा दिनांक 12.07.2019 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद संख्या 32/2016 खातेदार हराराम के पुत्रों द्वारा पेश किया गया है जिसमें अपीलांट को भी प्रतिवादी बनाया गया है ओर इस वाद में अपीलांट खेराजराम पुत्र उम्मेदाराम का वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 811/403 में राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर 1/3 हिस्सा माना हैं। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की प्रमाणित व अप्रमाणित प्रतिलिपियां अपील के सही निर्णय पर पहुंचने के लिए आवश्यक हैं जो प्रकरण का निस्तारण करने में भी अहम है इस वजह से न्यायहित में रिकोर्ड पर लेना आवश्यक एवं उचित है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के जबाव में रेस्पोडेंटगण ने बताया कि हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा उपरोक्त वाद एवं आवेदन की जो भी प्रमाणित व अप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जा रही है वह अर्थहीन है, इतना ही नही कतई सुसंगत नहीं है। न ही न्यायिक निर्णय में सहायक है और नही आवश्यक बल्कि अपीलांट का यह आवेदन निराधार एवं औचित्यहीन होने से इस अपील के न्याय निर्णय करने में कोई सहायक सिद्ध नहीं होगा। अतः अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज फरमया जावे।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 पर बहस सुनी गई बहस सुनने एवं प्रार्थना–पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से पाया कि अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 को न्यायाहित में ग्रहण किया जाता है और प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने हेतु रेस्पोडेंट को अनुज्ञात किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करते हुए यह उभयपक्ष को पाबंद किया गया कि दिनांक 21.03.2011 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर में उपस्थित हो लेकिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख दिनांक 28.04.2011 को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.08.2011 प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 सी पी सी पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने यह जाहिर होता है कि अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट द्वारा पेश आवेदन न्यायालय द्वारा बाद विवेचन खारिज कर दिया गया। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलांट ने विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा खेराज पुत्र रासिंगाराम जाट से दिनांक 27.07.1996 को क्रय किया है तत्समय वाद विचाराधीन था वं अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो रखी थी। अपीलांट द्वारा कथित रूप से क्रय किये गये 1/3 हिस्से का विक्रय पत्र विधि विरूद्ध ही नहीं प्रारम्भ से शून्य है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 119/2002 बअनवान हराराम का मु अमियो बनाम खेराजराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2017 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

16/12/19

(नाथूसिंह सदौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner